राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7276/2022

श्याम सुंदर सोनी पुत्र स्व. मोहन लाल सोनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स एसएस एंड संस, निवासी बार्टन बाजार (ठंथेरा बाराजार) जैन फर्नीचर के पास, बीकानेर।

------**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. नील कमल ज्वैलर्स, अपने पार्टनर विनोद कुमार चागेद पुत्र स्व. श्री गुलाब चंद चागेर जाति चागेर, दुकान संख्या 2-3, खजांची मार्केट, के.ई.एम. रोड, बीकानेर के माध्यम से।

-----**प्रत्यर्थीगण**

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री गुरविंदर सिंह

सुश्री चित्रा ओझा

प्रत्यर्थी गण की ओर से : श्री गौरव सिंह, लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>03/11/2022</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले संख्या 578/2022 में कार्यवाही की जाए। परक्राम्य लिखत अधिनियम केस संख्या 3, बीकानेर (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित) को अपास्त किया जाए।

2. जिस आधार पर वर्तमान याचिका दायर की गई है वह अद्वितीय और दिलचस्प है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, मेसर्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। एस एस एंड संस ने शिकायतकर्ता (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2) को दिनांक 08.06.2014 का एक चेक जारी किया, जिसका संख्या 631583 है, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बीकानेर पर आहरित है।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक आंकड़ों/संख्याओं का संबंध है, चेक **7,55,125/-** रुपये (सात लाख पचपन हजार एक सौ पच्चीस रुपये) का था, लेकिन शब्दों में ऐसी राशि असावधानी या अन्यथा के कारण, **"केवल सात लाख पचास हजार एक सौ पच्चीस रुपये"** अंकित किया गया था।

4. जब शिकायतकर्ता द्वारा चेक भुनाने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो बैंक (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर) ने उसे निम्नलिखित टिप्पणी के साथ दिनांक 17.06.2014 के मेमो के साथ वापस कर दिया:

"अथ शेष अपर्याप्त (अथ शेष अपर्याप्त है)"

5. शिकायतकर्ता ने 25.06.2014 को याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद "एन.आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत आवश्यक वैधानिक नोटिस जारी किया और 7,55,125/- सात लाख पचपन हजार एक सौ पच्चीसरुपये की राशि का दावा किया।जैसाकि चेक पर अंकित है।

6. जब याचिकाकर्ता (संबंधित चेक जारीकर्ता) ने मांग के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने एनआई अधिनियमकी धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की।जिसे शिकायत प्रकरण क्रमांक 65/2015 (नया क्रमांक 578/2022) के रूप में दर्ज किया गया।

7. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.09.2022 को एक आवेदन दायर किया और प्रार्थना की कि कार्यवाही अपास्त कर दी जाए। कई आधार उठाए गए लेकिन वर्तमान में हम उनमें से दो आधारों को लेकर चिंतित हैं - पहला, कि प्रश्न में चेक में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं - अंकों में, रु. ***7,55,125/-*** और शब्दों में, रु. ***7,50,125/- (सात लाख पचास हजार एक सौ पच्चीस),*** और दूसरी बात यह कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2014 को दिया गया विधिक नोटिस 'चेक राशि' से संबंधित नहीं था।

8. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को विद्वान निचली अदालतने अपने आदेश दिनांक 20.09.2022 के तहत अपास्त कर दिया, अन्य बातों के साथ-साथ, कि याचिकाकर्ता के पहले के आवेदन को उसी आधार पर अपास्त कर दिया गया है और इस स्तर पर कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार पर निचली अदालत ने 7,50,125/- रुपये की राशि के लिए संज्ञान लिया है, जो एनआई की धारा 18 के प्रावधानों के अनुरूप है।

9. याचिकाकर्ता ने निचली अदालतके उपरोक्त आदेश का विरोध करते हुए अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गुरविंदर सिंह ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता का विधिक नोटिस दिनांक 25.06.2014 वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि नोटिस 7,55,125/- रुपये (सात लाख पचपन हजार रुपये) का था। एक सौ पच्चीस), जो प्रश्नगत चेक पर शब्दों में व्यक्त राशि से भिन्न था। उनके अनुसार ऐसी विसंगति के कारण एन.आई. की धारा 138(ख) के तहत वैधानिक नोटिस दिया गया। अधिनियम कानून के अनुरूप नहीं था और इसलिए, परिणामी शिकायत अपास्त होने योग्य है।

11. अपने तर्क को विस्तृत करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान एन.आई. की धारा 138 की ओर आकर्षित किया। अधिनियम और प्रस्तुत किया गया कि मांग का ***नोटिस "उक्त राशि के भुगतान के लिए"होना चाहिए,***और यदि राशि को शब्दों और अंकों में अलग-अलग व्यक्त किया गया है, तो धारा 18 के अनुसार, शब्दों में बताई गई राशि ली जाएगी चेक राशि के रूप में विचार किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में,

इतनी राशि अर्थात सात लाख पचास हजार एक सौ पच्चीस रुपये (7,50,125/- रुपये) के लिए न केवल नोटिस बल्कि शिकायत भी दर्ज की जानी चाहिए थी।

12. उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 25.06.2014 को विधिक नोटिस 7,50,125/- रुपये (सात लाख पचास हजार एक सौ पच्चीस रुपये) की राशि के लिए जारी किया जाना चाहिए था और चूंकि नोटिस में चेकउल्लिखित राशि के लिए नहीं था, उसे अमान्य कर दिया गया।

13. उन्होंने बताया कि संज्ञान लेते समय, विद्वान निचली अदालतने 7,50,125/- रुपये का आंकड़ा माना है, न कि नोटिस में जो उल्लेख किया गया था, और उत्साहपूर्वक तर्क दिया कि चूंकि संज्ञान राशि के अलावा अन्य राशि के लिए लिया गया है। नोटिस और शिकायत में मांगी गई या उल्लिखित राशि, न केवल संज्ञान, बल्कि कार्यवाही भी दूषित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

14. उपरोक्त अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया।

(i) सुमनसेठी बनाम. अजय के. चुरीवाल एवं अन्य।

(2001) बीसी 144 (एससी) में प्रकाशित।

(ii) के.आर. इंदिरा बनाम. डॉ. जी. आदिनारायण

III (2005) बीसी 384 (एससी) में प्रकाशित।

(iii) एलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड एवं अन्य। (2010) ई.

(दिल्ली) 716 में प्रकाशित।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और श्री सिंह द्वारा उद्धृत निर्णयों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

16. मुद्दे पर गहराई से विचार करने से पहले, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 और धारा 18 के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:

धारा 138. खाते में धनराशि की कमी आदि के कारण चेक का अनादरण–

....

बशर्ते कि इस धारा में शामिल कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक-

...

(ख) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, ***एक नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है;****चेक जारी करने वाले को लिखित रूप में, चेक को अवैतनिक रूप में वापस करने के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के 3[तीस दिनों के भीतर]; और*

(ग) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता, जैसा भी मामला हो, उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के उचित क्रम में प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

धारा 18. जहां राशि को अंकों और शब्दों में अलग-अलग बताया गया है*- यदि भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली राशि को अंकों और शब्दों में अलग-अलग बताया गया है, तो शब्दों में बताई गई राशि वह राशि होगी, जिसे भुगतान करने का आदेश दिया गया है।*

17. निस्संदेह, चेक में उल्लिखित रकम में विसंगति है। आंकड़े या संख्याएं दर्शाती हैं कि चेक 7,55,125/- रुपये (सात लाख **पचास-पांच** हजार एक सौ पच्चीस रुपये) का काटा जाना है, जबकि शब्दों में, सात लाख **पचास हजार** एक सौ पच्चीस रुपये (रु. 7,50,125/-) लिखा है।

18. यह सच है कि एन.आई. अधिनियमकी धारा 18 के अनुसारशब्दों और अंकों के बीच अंतर के मामले में, एक परक्राम्य लिखत में शब्दों में लिखी गई राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एन.आई. की धारा 18 का इरादा और तात्पर्य अधिनियम जो यह प्रावधान करता है कि शब्दों में लिखी गई राशि मान्य होगी, शब्दों और अंकों में कोई विसंगति होने पर राशि को निश्चितता देने के लिए है क्योंकि राशि को अंकों में व्यक्त करते समय स्पष्टता की कमी हो सकती है।

19. यह तथ्य कि विधिक नोटिस दिनांक 25.06.2014 को 7,55,125/- रुपये के लिए

दिया गया है, अपने आप में याचिकाकर्ता के खिलाफ नोटिस और कार्यवाही को अमान्य नहीं करता है। एन.आई. की धारा 138. अधिनियम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना आवश्यक है।

20. यह एक स्थापित प्रस्ताव है कि शरारत से बचने और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून की व्याख्या करना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.आई. की धारा 138 के पीछे के उद्देश्य और मंशा को स्पष्ट किया है। ***विनय देवन्ना नायक बनाम रैयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड (2008)2 एससीसी 305*** में प्रकाशितके मामले में अधिनियम इस प्रकार है:

> *"देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 66) द्वारा अधिनियम की धारा 138 को शामिल किया गया था। वित्तीय मामलों में अधिक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए सख्त दायित्व। <u>प्रावधान का समावेश चेक जारीकर्ता में लेनदार के विश्वास की रक्षा के लिए किया गया है, जो भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक है।</u> यह प्रावधान कड़े प्रावधान बनाकर और लेनदारों के हितों की रक्षा करके अंधाधुंध चेक जारी करने के मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।*
>
> *जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स:1996 आपराधिक 1692 मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया था, क़ानून की किताब में धारा 138 लाने का उद्देश्य बैंकिंग परिचालन की प्रभावकारिता और परक्राम्य व्यापार करने में विश्वसनीयता में विश्वास पैदा करना है। <u>यंत्र. इस प्रावधान का उद्देश्य पर्याप्त धनराशि के बिना चेक जारी करने में या भुगतानकर्ता या धारक को उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से परक्राम्य लिखतों के</u>*

आहर्ता की ओर से बेईमानी को रोकना है। इस प्रकार इसका उद्देश्य बैंक संचालन की प्रभावकारिता को बढ़ावा देना और चेक के माध्यम से व्यापार लेनदेन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

21. धारा 138 में "उक्त राशि" वाक्यांश के साथ पठित धारा 18 की शाब्दिक और सख्त व्याख्या पांडित्यपूर्ण और प्रतिकूल होगी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में न्याय की हानि होगी।

22. एन.आई. की धारा 138 के तहत विधिक नोटिस का उद्देश्य। अधिनियम का उद्देश्य भुगतानकर्ता को राशि भेजने के उसके दायित्व के बारे में सूचित करना है। यह ***सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्यसैक्सन फार्म्स और अन्य (1999) 8 एससीसी 221***में प्रकाशित माननीयउच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारितकियागया है कि "नोटिस का उद्देश्य चेक जारीकर्ता को अपनी चूक सुधारने का मौका देना और ईमानदार चेककर्ता की रक्षा करना है"।

23. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने अस्वीकृत चेक द्वारा कवर की गई राशि को स्पष्ट रूप से बताया और याचिकाकर्ता को पता था कि उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। इसलिए, विधिक नोटिस भेजने का उद्देश्य पूरा हो गया और नोटिस का उत्तर दिए बिना, याचिकाकर्ता ने कानून के यांत्रिक निर्माण का सहारा लेकर कार्यवाही को टालने की कोशिश की है।

24. इस न्यायालय की राय में, इस तरह की अति-तकनीकीता के कारण न तो नोटिस ख़राब होता है और न ही ऐसी अनजाने या जानबूझकर की गई असमानता या विचलन कार्यवाही के लिए घातक है।

25. यह स्वीकार किया गया है कि शब्दों की तुलना में शब्दों में अभिव्यक्ति लिखते समय 5000/- रुपये का मामूली अंतर है। यह वर्तमान याचिकाकर्ता - चेक जारीकर्ता का मामला/बचाव नहीं है कि उसने 7,50,125/- रुपये की कथित चेक राशि की व्यवस्था की थी। क्या राशि या देनदारी 7,55,125/- रुपये की थी या 7,50,125/- रुपये की, यह परीक्षण का विषय है। याचिकाकर्ता ने न तो नोटिस का उत्तर दिया और न ही देनदारी पर विवाद किया, 7,50,125/- रुपये की राशि का भुगतान करना तो दूर की बात है।

26. इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता ने शब्दों में उल्लिखित राशि 7,50,125/- रुपये के लिए नोटिस जारी किया होता, तब भी, याचिकाकर्ता यह दलील लेकर आता कि नोटिस उसके अलावा किसी अन्य चेक राशिके लिए जारी किया गया है।

27. जब तक याचिकाकर्ता के बैंकर द्वारा भेजा गया चेक रिटर्निंग मेमो दिनांक 17.06.2014 दिखाता है कि चेक धन की कमी (अथ शेष अपर्याप्त), याचिकाकर्ता की अनजाने/अनजाने में हुई त्रुटि, या संभवतः लिखने की एक सोची-समझी चाल के कारण लौटाया गया है चेक में दो रकमें उसे एन.आई. की धारा 138 के तहत कार्यवाही से नहीं बचा सकतीं।

28. एनईपीसी माइक्रोन लिमिटेड बनाम मेग्मा लीजिंग लिमिटेडनेएआईआर 1999 एससी 1952 में प्रकाशित मेंमाननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या के शरारत नियम को लागू करते हुए कहा कि जहां एक चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस आधार पर वापस कर दिया जाता है कि "खाता बंद है", यह ऐसा होगा मानो खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, यदि वह व्याख्या दी गई है जिसकी मांग की गई है, तो यह केवल बेईमान व्यक्तियों को चेक जारी करने और प्रस्तुति से पहले खाता बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे एनआई की धारा 138 के तहत दायित्व से बच जाएगा।

29. इसी प्रकार, यदि वर्तमान याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह भविष्य में ऐसी रणनीति का लाभ उठाने के लिए जानबूझकर विसंगति पैदा करने में शामिल होने के लिए बेईमान चेक जारीकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा। याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिए अपनी गलती/मूर्खता का फायदा नहीं उठा सकता।

30. जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का प्रश्न है, वे ऐसे मामले हैं जिनमें शिकायतकर्ता ने गलत राशि या चेक राशि के अलावा अन्य राशि के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके लिए न्यायालयों ने माना है कि चेक राशि ("उक्त राशि") के लिए नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता ने वास्तविक रूप से चेक पर अंकित राशि, अर्थात 7,55,125/- रुपये के लिए नोटिस भेजा था। केवल एन.आई. की धारा 18 के प्रावधानों को पढ़कर ऐसी राशि को चेक राशि के अलावा अन्य

राशि नहीं माना जा सकता है।

31. विद्वान निचली अदालतने एनआई की धारा 18 का संज्ञान लेते हुए 7,50,125/- रुपये की राशि का संज्ञान लिया है।

32. केवल इसलिए कि विधिक नोटिस में उल्लिखित चेक राशि के अलावा किसी अन्य राशि के लिए संज्ञान लिया गया है, पूरी कार्यवाही को दूषित या अमान्य नहीं माना जा सकता है।

33. विविध. याचिका गुणहीन होने के कारण अपास्त की जाती है।

34. स्थगन याचिका भी अपास्त की जाती है।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

311–रमेश/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।